लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस में श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण के मुख्य बिन्दु

3 मार्च, 2010

....

राष्ट्रपति का अभिभाषण वस्तुतः सरकार की विगत् वर्ष की गतिविधियों का रिपोर्ट कार्ड होता है और आने वाले वर्ष में सरकार की योजनाओं की झलक देता है। इस बहस का स्वरूप ऐसा है कि दोनों सदन सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं।

जब राष्ट्र द्वारा की गई प्रगति का सवाल आता है तो उसे स्वीकारने और उस पर गर्व करने में कोई दलगत भाव आड़े नहीं आना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र हम सबका है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो।

<u>रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को युद्ध स्तर पर प्रोत्साहित करने की जरूरत</u>

इसलिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में, अग्नि-III मिसाइल के सफल परीक्षण की बात से मैं भी उतना ही प्रसन्न हूं जितना कि इस सदन के अन्य सदस्य। हमारे जिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे सम्भव बनाया, हम उनकी प्रशंसा और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश और जिसके पास इतनी व्यापक वैज्ञानिक तथा प्रौद्यागिकी प्रतिभाएं हों तो उसे रक्षा सम्बन्धी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

भारत का घरेलू उद्योग जगत अब इतना विशाल और समुचित रूप से इतना सक्षम है कि वह रक्षा स्वदेशीकरण में अहम् भूमिका निभा सकता है। हमारे रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा एल एण्ड टी, टाटा समूह, गोदरेज, मोहिन्द्रा इत्यादि जैसी कम्पनियों को भारत के रक्षा उत्पादन में बड़े स्तर पर सहयोग करने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिये। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस परिवर्तन को युद्ध स्तर पर शुरू करे।

हाल ही में मुझे पढ़ने को मिला कि रक्षा सौदों में विलम्बों के चलते प्रति वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा भारी राशि वापस करने से चिंतित वित्त मंत्रालय ने नीतिगत बदलाव करते हुए रक्षा मंत्री ए.के. एंथोनी को अधिकार दिया है कि वह एक हजार करोड़ रूपये तक की रक्षा परियोजनाओं को केबिनेट की सुरक्षा सम्बन्धी समिति से सलाह—मशविरा किए बिना हरी झंडी दे सकते हैं।

मैं इस कदम का स्वागत करता हूं मगर दो सावधानियों के साथ। पहली, इस अधिकार से रक्षा मंत्रालय में प्रामाणिकता और जवाबदेही समाप्त नहीं होनी चाहिए। दूसरी, रक्षा

मंत्रालय को इस स्वायत्तता का उपयोग रक्षा सम्बन्धी स्वदेशीकरण परियोजनाओं को पूरा करने में करना चाहिए।

समान पद समान पेंशन

मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि अधिकारी स्तर और कमीशन्ड ऑफिसर्स से नीचे के अधिकारियों के सम्बन्ध में पेंशन सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

मुझे नहीं पता कि इसका अर्थ सेवानिवृत सैनिकों को 'समान पद समान पेंशन' की मांग को पूरी तरह स्वीकारना है? पिछले वर्ष मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके इस आंदोलन का समर्थन किया था। यह काफी दु:खद था कि बड़ी संख्या में अधिकारियों और जवानों ने अपनी बहादुरी के फलस्वरूप प्राप्त किए पदकों को विरोधस्वरूप लौटा दिया था। अब इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बनी है। मैं आशा करता हूं कि हम फिर से कभी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जिसमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के रखवालों में असंतोष पनपे।

भारत की चमत्कारी उपलब्धियों का एक और उदाहरण मैं यहा देना चाहता हूं जिससे इस सदन में बैठे सभी सदस्यों को गर्व होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा गया है कि अब हमारे देश में 57 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन हैं। अप्रत्याशित तौर पर 2 करोड़ नए कनेक्शन दिसम्बर 2009 के महीने में जुड़े। इससे भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता विशाल टेलीकॉम बाजार बन रहा है।

चूंकि भारत, दुनिया का तेजी से बढ़ता विशाल टेलीकॉम बाजार बन रहा है इसलिए भारत को एक ऐसी नीति प्रस्तुत करनी चाहिए जो भारतीय कम्पनियों को मोबाइल फोन और टेलीकॉम उपकरण उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करे। भारत ने आई टी सॉफ्टवेयर में काफी उपलब्धि हासिल की है लेकिन आई टी हार्डवेयर उत्पादन में हम अभी भी पीछे हैं।

मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए भारत की 'अभाव की अर्थव्यवस्था' (Economy of Scarcity) से 'अधिकता की अर्थव्यवस्था' (Economy of surplus) में आंशिक परिवर्तन वास्तव में अकल्पनीय है। 1990 के दशक तक एक टेलीफोन कनेक्शन पाना कितना कठिन था और उसकी प्रतीक्षा सूची कितनी लम्बी थी, इसका अंदाजा पुराने सांसदों को होगा कि लोगों को अपने सांसदों से मुख्य अपेक्षा टेलीफोन तथा गैस कनेक्शन की सिफारिश की होती थी।

मैं सत्ता पक्ष के मित्रों को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि आज जो क्रांतिकारी टेलीकॉम सुधार देखने को मिलते हैं, ये एन डी ए सरकार द्वारा की गई पहल का परिणाम हैं। सरकार एक सतत् चलने वाली इकाई है। पिछली सरकारों की अच्छी नीतियों ने वर्तमान सरकार के लिए अच्छे नतीजे दिए हैं।

इन दिनों, मैं अपने मित्र कमलनाथ को सुनता हूं कि सरकार 20 किमी0 प्रतिदिन की गति से राजमार्ग (Highways) बनाने को दृढ़प्रतिज्ञ है। मैं इस महत्वाकांक्षा और प्रतिबद्धता का पूरी तरह समर्थन करता हूं। लेकिन सरकार को यह याद रखना चाहिए कि यह प्रगति तभी सम्भव हो रही है कि राजमार्ग निर्माण की मजबूत नींव श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रखी थी।

वस्तुतः एन डी ए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की प्रेरणा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे के निर्माण से ली थी जिसे महाराष्ट्र के तत्कालीन पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बनाया था, जो आज मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

टेलीकॉम क्रांति के उदाहरण से हम सबको क्या वृहद संदेश मिलता है? यही कि विगत् से विरासत में मिली अल्प विकास (Underdevelopment) की समस्याओं पर विजय पाने में भारत में व्यापक संभावना है। यदि हम टेलीकॉम कनेक्टिविटी के अभाव को इतिहास बना सकते हैं, यदि हम राजमार्ग कनेक्टिविटी के अभाव को इतिहास बना सकते हैं, तो **हम गरीबी को भी भारत में इतिहास की वस्तु बना सकते हैं**। यह हम सबका सामूहिक संकल्प होना चाहिए।

यदि हम सभी स्वीकार करते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के लिए राष्ट्र की प्रगति, उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा किये गए अच्छे कामों का कुल मिलाकर परिणाम है, तो मैं यह नहीं समझ पाता कि यू.पी.ए. सरकार सभी योजनाओं और कार्यों का श्रेय सिर्फ एक परिवार – नेहरू परिवार – के सदस्यों को देने में ही क्यों प्रयासरत रहती है?

राष्ट्रपति अभिभाषण में ही तीन नये कार्यक्रमों को एक ही परिवार विशेष के नाम से जोड़ा गया है। यूपीए सरकार ने शहरी पुनर्निमाण मिशन (urban renewal mission) जवाहर लाल नेहरु के नाम पर रखा है, अब एक और नया कार्यक्रम सामने आया है, **जवाहरलाल नेहरु उर्जा मिशन।** ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के बाद अब शहरी मकानों और स्लम क्षेत्रों के लिए नई योजना बनी हैः **राजीव आवास योजना।** यूपीए सरकार ने पहले से ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चालू कर रखी हैः अब ग्रामीण एलपीजी वितरण के लिए नई योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है – **'राजीव गांधी एलपीजी वितरक योजना'**।

नामतंत्र (Nomenclature)

एक प्रमुख पत्रकार श्री ए0 सूर्यप्रकाश ने पिछले वर्ष एक संग्रह **(compendium)** तैयार किया जिसमें सभी केन्द्रीय और राज्यों के कार्यक्रमों, योजनाओं, स्टेडियमों, हवाई अड्डों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों इत्यादि की जानकारी प्रकाशित की जिनका नामकरण जवाहर लाल नेहरु, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर किया गया है। ऐसी संख्या 450 बैठती है।

भारत के अतीत के महान नामों की स्मृतियों को सुनियोजित तरीके से समाप्त करना या किनारे करना। कुछ माह पूर्व, कर्नाटक सरकार ने महान राजा कृष्णदेव राय के साम्राज्यरोहण के 500 वर्षों का समारोह आयोजित किया था । उनका साम्राज्य वर्तमान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला था जो भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक स्वर्णयुग है। तत्कालीन विदेशी पर्यटकों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कृष्णदेव राय एक ऐसे भूभाग पर शासन करते थे जो उस समय के यूरोप के कई दशों से ज्यादा समृद्ध था।

मुझे दुःख है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृष्णदेव राय के 500वें वर्ष के समारोह का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि यूपीए सरकार इसे मात्र क्षेत्रीय विषय मानती है ।

यह कांग्रेस की मानसिकता है कि सिर्फ नेहरु परिवार का नाम ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाए। आधुनिक, मध्य या प्राचीन युग के अन्य सभी नामों को मात्र क्षेत्रीय पहचान तक सीमित रखा जाए। सरदार पटेल सिर्फ गुजरात, सुभाष चंद्र बोस बंगाल, अहिल्याबाई होल्कर सिर्फ मध्य प्रदेश, राणा प्रताप राजस्थान में सिर्फ राजपूतों और शंकर देव असम के एक वर्ग तक सीमित रखे जाएं।

सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का नाम राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखने हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर बहस होनी चाहिए जिसमें भारत की समृद्ध सामाजिक – सांस्कृतिक – राजनीतिक बहुलता को ध्यान में रखते सभी राष्ट्रीय नायकों को समान और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

जब राष्ट्रपति अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहा है तब यह सरकार की असफलताओं को छुपाने में लगा है। जैसे मंहगाई की समस्या ''घरेलू उत्पादन में कमी और चावल, दालों तथा खाद्य तेलों के दुनिया भर में उंची कीमतों के चलते मंहगाई अपरिहार्य है।''

क्या इस कमी के लिए और भारत को आयात पर निर्भर रखने के लिए किसी को जबाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए ?

इस समूचे सदन की चिंता का विषय होना चाहिए कि खाद्य मूल्यों में वृद्धि उस समय हो रही है जब देश में गरीबी भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार डा0 सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने हाल में ही यह खुलासा किया है कि भारत में गरीबों की जनसंख्या में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। ग्रामीण भारत में गरीबी 42 प्रतिशत है न की पूर्व अनुमानित 28 प्रतिशत।

इसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) ने की है। यूपीए सरकार के इस दावे कि दुनिया की आर्थिक मंदी से भारत मोटे तौर पर अछूता रहा, के चलते विभाग के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भारत में अकेले वर्ष 2009 में ही 1.36 करोड़ लोग और गरीब बन गये।

भारत की आंतरिक सुरक्षा का राष्ट्रपति अभिभाषण के दूसरे पैराग्राफ में उल्लेख है।

पिछले महीने पश्चिम बंगाल के शिलदा में पुलिस कैम्प पर हुए माओवादी हमले में 24 सुरक्षाकर्मियों की हत्या अभी तक की माओवादियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों को विशेष लक्ष्य करके की गई जघन्य हत्या है, अभिभाषण इसका उल्लेख क्यों नहीं है? क्या यह पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा माओवादियों से निपटने की असफलता को छुपाने का उपक्रम है?

माओवाद से प्रेरित वाम चरमपंथ (नक्सलवाद) के विरूद्ध लड़ाई तेज करनी होगी। एक ऐसी विचारधारा जो उग्रवाद को पोषित करती है, से सामने से निपटना होगा। इस सदन के लिए जरूरी है कि हम सभी यह समझ लें कि माओवाद गरीबी के विरूद्ध लड़ाई नहीं है, यह भारत राष्ट्र–राज्य के विरूद्ध युद्ध है। यह हमारी लोकतांत्रिक पद्धति पर हमला है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के विरूद्ध लड़ाई है।

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि जब हमारे पड़ोस नेपाल में माओवादी तांडव कर रहे थे तब यू पी ए सतर्क नहीं रहा। भारत को उसकी कीमत अब चुकानी पड़ रही है।

जहां तक भाजपा का सम्बन्ध है, मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माओवादी चुनौती की कमर तोड़ने में हमारा पूरा सहयोग और समर्थन उसके साथ है।

राष्ट्रपति अभिभाषण में पाकिस्तान का चलताऊ ढंग से उल्लेख निराश करने वाला है।

ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर इस बारे में कम से कम कहना चाहती है कि वह पाकिस्तान को लेकर क्या कर रही है और उसकी क्या योजना है।

12 फरवरी के पुणे बम विस्फोट जिसमें अभी तक 17 जानें जा चुकी हैं, के बावजूद सरकार ने पाकिस्तान के साथ सचिव स्तरीय वार्ता पुनः शुरू की।

यह साफ है कि सरकार ने आतंकवाद के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत से अलग करने का मन बना लिया है। जुलाई 2009 में शरम–अल–शेख में जारी भारत–पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य में कहा गया था कि "दोनों प्रधानमंत्री मानते हैं कि वार्ता, ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आतंकवाद पर कार्यवाही को समग्र वार्ता प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

डा0 मनमोहन सिंह ने रूस में पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को साफ कहा था ”मेरा जनादेश आपको यह बताने तक सीमित है कि पाकिस्तान की भूमि को भारत के विरूद्ध आतंकवाद के लिए उपयोग न होने दिया जाए।“

फिर से पिछले महीने के पुणे में आतंकवादी हमले के बाद सरकार का अन्तर्विरोधी वक्तव्य सुनने को मिला।

मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इसे सदन में स्पष्ट करें। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को प्रधानमंत्री के विचारों को जानने का अधिकार है।

यू पी ए सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और विभिन्न दिशाओं में, दबावों में खिंचती दिख रही है। ऐसे कुछ दबाव विदेशों से आते दिख रहे हैं।

सरकार की सोच तीन मान्यताओं से संचालित हो रही है:

(1) भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के बराबर के शिकार हैं।
(2) आतंकवाद का खतरा पाकिस्तान के *नॉन स्टेट एक्टर्स* (गैर–सरकारी तत्वों) की तरफ से है।
(3) अफगान–पाक क्षेत्र में अस्थिरता का समाधान कश्मीर समस्या के सुलझने में लम्बित है।

ये तीनों मान्यताएं एकदम निराधार हैं।

पहला, सिर्फ इस कारण से कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों से हजारों निर्दोष लोग मारे गए, का यह अर्थ नहीं निकलता कि भारत और पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में किसी तरह की समानता है। भारत उस आतंकवाद का शिकार है जिसकी वैचारिक और संचलानात्मक जड़ें पाकिस्तान में हैं। इसका विपरीत सत्य नहीं है। पाकिस्तान उस आतंकवाद का शिकार नहीं है जो भारत से संचालित हो रहा हो। पाकिस्तान उस भस्मासुर को पोषित और प्रोत्साहित करने की कीमत चुका रहा है जो उसने भारत में समस्याएं खड़ी करने के लिए तैयार किया था। यह कभी–कभी पाकिस्तान में भी खून बहाता है।

दूसरा, मेरा मानना है कि यह सही नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकवाद केवल गैर–सरकारी तत्वों की कारगुजारी है। 26 फरवरी की सचिव स्तरीय वार्ता में भारत ने पाकिस्तान से लश्करे–तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद जो 26 / 11 के आतंकी हमले के षडयंत्रकारी हैं सहित 33 आतंकवादियों को भारत को सौंपने की मांग की।

इतना ही नहीं भारत ने उन दो पाकिस्तानी सेना अधिकारियों को भी सौंपने की मांग की जिन पर मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में शामिल होने का संदेह है।

ये दो सैन्य अधिकारी हैं मेजर इकबाल और मेजर समीर अली। मेजर इकबाल की भूमिका अमेरिका में संदिग्ध आतंकी डेविड हेडले की पूछताछ से सामने आई मानी जाती है।

मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इसकी पुष्टि करें या खण्डन। यदि यह वस्तुतः सत्य है तो इससे उस सिद्धान्त की धज्जियां उड़ जाती हैं कि भारत में आतंकवाद में, पाकिस्तान के ''गैर–सरकारी तत्वों' का हाथ है।

"अफगान–पाक क्षेत्र में अस्थिरता का हल कश्मीर समस्या के हल में छुपा है। इसलिए भारत यदि चाहता है कि आतंकवाद से उसका पीछा छूटे तो उसे कश्मीर समस्या को हल करने के लिए वार्ता हेतु तैयार होना चाहिए।"

वाशिंगटन और इस्लामाबाद के कुछ क्षेत्रों में चल रहे इन कतिपय प्रयासों को यदि सरकार मान लेती है तो यह भारत के लिए दुःखद दिन होगा।

'न्यूजवीक' साप्ताहिक (20 फरवरी, 2010) में एक ताजा लेख प्रकाशित हुआ है **रोड टू काबुल रन्स थ्रु कश्मीर। (Road to Kabul Runs Through Kashmir)**

मुझे संदेह है कि यू पी ए सरकार कश्मीर पर गुपचुप समझौता करने की तैयारी कर रही है। कश्मीर को स्वायत्तता देने और यहां तक कि जम्मू–कश्मीर में 1953 से पूर्व का संवैधानिक दर्जा बहाल करने की बात चल रही है।

यह सीधा और साफ तौर पर समर्पण यानी घुटने टेक देना होगा। यही पाकिस्तान की नीति है कि आतंक को सरकारी नीति बनाकर कश्मीर को पृथक करवाया जाए। स्वायत्तता की बात पृथक करने की पूर्व भूमिका के सिवाय कुछ नहीं है।

मैं प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी कदम जो जम्मू–कश्मीर या उसके किसी हिस्से पर भारत की सार्वभौमिकता से समझौता करता हो – का अर्थ होगा कि यू पी ए सरकार को स्वतंत्र भारत में अब तक के सर्वाधिक व्यापक जन विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

✦✦✦✦✦✦

मैं पिछले लगभग चालीस वर्षों से संसद में हूं। 1970 में जब मैं पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया तब से मैं चुनाव सुधारों में गहन रूचि लेता रहा हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर 1970 में ही चुनाव सुधारों पर एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। मुझे उसमें काम करने का सौभाग्य मिला और 1971 में ऐसी ही अन्य समिति तथा बाद में दिनेश गोस्वामी समिति में भी मैं सदस्य था। समिति ने चुनावी कानून में अनेक परिवर्तन करवाए। यह भी सुझाया गया कि एक लोकतंत्र में चुनावी व्यय सिद्धांत रूप से सरकारी कोष से होना चाहिए और दलों या प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनावी व्यय भी धीरे–धीरे सरकार को करना चाहिए।

चुनावी व्यय सम्बन्धी इन्द्रजीत गुप्त कमेटी ने भी इस पर विचार किया।

मैं मानता हूं कि समय आ गया है जब हमारे देश में इस सम्बन्ध में साहसी निर्णय लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि चुनावी व्यय सरकारी पैसे से हो। जर्मनी सहित दुनिया के अनेक अग्रणी लोकतांत्रिक देशों ने पहले से इस पद्धति को अपनाया हुआ है।

चुनावी सुधारों की बात करते समय मुझे खुशी हो रही है कि गुजरात ने अपने स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदान को अनिवार्य करने की पहल की है। शायद हम में से अनेकों को मालूम नहीं होगा कि 700 मिलियन लोगों वाले 25 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, इटली, ब्राजील, मैक्सिको, तुर्की, सिंगापुर, थाइलैण्ड ने अपने संसदीय चुनावों हेतु मतदान अनिवार्य किया हुआ है। मुझे उन लोकतांत्रिक प्रणालियों के बारे में पढ़ने का मौका मिला है जहां मतदाताओं द्वारा कम मात्रा में मतदान करने पर चिंता व्यक्त की जा रही है, इनमें कनाडा, इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं जहां अनिवार्य मतदान की मांग धीरे–धीरे बल पकड़ती जा रही है।